भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

राज्य वित्त

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय – 1 **राज्य सरकार के वित्त**		
प्रस्तावना	1.1	1
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.2	1
बजट अनुमान तथा वास्तविकता	1.3	3
राज्य के संसाधन	1.4	4
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	5
संसाधनों के प्रयोग	1.6	8
व्यय की गुणवत्ता	1.7	11
सरकारी व्यय तथा निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	13
परिसम्पत्तियां तथा देयताएँ	1.9	15
ऋण धारणीयता	1.10	15
राजकोषीय असंतुलन	1.11	17
निष्कर्ष	1.12	20
सिफारिशें	1.13	21
अध्याय – 2 **वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण**		
प्रस्तावना	2.1	23
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	23
वित्तीय जबावदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	24
आकस्मिक निधि से अग्रिम	2.4	39
वसूलियों के समायोजन से व्यय में कमी	2.5	39
रिक्त पदों हेतु अनावश्यक प्रावधान	2.6	40
अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	2.7	43
अनुदान सं. 5- गृह के पुनरीक्षण का निष्कर्ष	2.8	45
आन्तरिक लेखापरीक्षा	2.9	50
निष्कर्ष	2.10	51

सिफारिशें	2.11	51
अध्याय – 3 वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	53
लेखों की गैर-प्रस्तुति/प्रस्तुति में विलम्ब	3.2	54
लेखापरीक्षा को लेखों के प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.3	55
दुरूपयोग, हानियाँ तथा गबन इत्यादि	3.4	56
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.5	57
व्यक्तिगत जमा खाते	3.6	58
उचंत शेष	3.7	59
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	3.8	60

क्र.सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ
1.1	राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)	65
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	66
1.3	राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े	68
1.4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ	71
1.5	वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	71
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ बचतें प्रत्येक ₹ 5 करोड़ से अधिक सी. एस. एस./एस.सी.एस.पी. के लिए ₹1 करोड़) थीं अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थीं	75
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ कुल प्रावधान अप्रयुक्त थे अथवा वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व सरकारी लेखे में भेजे गए ।	98
2.3	पूर्व वर्षों के प्रावधान पर आधिक्य के लिए आवश्यक नियमन	101
2.4	अधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक)	105
2.5	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग (जहाँ अंतिम बचतें ₹ 1 करोड़ से अधिक थीं)	108
2.6	वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अभ्यर्पणों के परिणाम (कुल प्रावधानों के 40 *प्रतिशत* या उससे अधिक)	111
2.7	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जिसमें बचत हुई लेकिन जिसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	112
2.8	₹ 1 करोड़ तथा अधिक की गैर-अभ्यर्पित बचत का विवरण	113
2.9	31 मार्च 2012 को ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के मामले	114
2.10	अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस और एससीएसपी योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोगी रहा	115
2.11	पूँजीगत शीर्ष की बजाय राजस्व शीर्ष के अंतर्गत अशुद्ध वर्गीकरण की विवरणी	117

2.12	संसद/विधायिका के पूर्व अनुमोदन के बिना निकायों/प्राधिकरणों के सहायता अनुदान के प्रावधान में वृद्धि	121
2.13	संसद/विधायिका की पूर्व अनुमति के बिना 'आर्थिक सहायता' के प्रावधानों में वृद्धि	124
2.14	₹1 करोड़ अथवा अधिक की बचत	125
2.15	निरंतर बचत	127
2.16	आँकड़ों में अंतर	129
2.17	अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण	130
2.18	व्यय की अधिकता	131
2.19	अवास्तविक बजटिंग	133
3.1	31 मार्च 2012 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	134
3.2	लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब	143
3.3	दुरूपयोग, गबन आदि के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विवरण(मामले जिनमें मार्च 2011 के अंत में अंतिम कार्रवाई लम्बित थी)	144
3.4	सरकारी समान की चोरी, दुरूपयोग/हानि के कारण सरकार को हानि के मामलों के संबंध में विभाग-वार/श्रेणी-वार विवरण	144